न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या–27 / 2016
निर्णय दिनांक – 28.02.2025
GCMS No.- 2016/00140

पेमाराम पुत्र खुमाराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

..................वादी

वनाम

1. सुंदर पत्नी स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. मदनराम पुत्र स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू
3. लूणाराम पुत्र स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. मनरूपाराम पुत्र स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
5. डूंगरराम पुत्र स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू
6. मु0 शिपू पुत्री स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
7. मु0 पुना पुत्री स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
8. मु0 संतोष पुत्री स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
9. मु0 विनोद पुत्री स्व. लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
10. सोनाराम पुत्र नानकराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
11. भगवानाराम दतक पुत्र स्व. अमराराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
12. धापूदेवी पत्नी स्व. भीखाराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
13. मु0 सन्जू पुत्री स्व. भीखाराम पत्नी इन्द्रराम जाति मेघवाल हाल निवासी छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
14. खिराजाराम पुत्र स्व. खुमाराम जाति मेघवाल निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
15. उप पंजीयक अधिकारी सुजानगढ़
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)

.......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थितः–

1. श्री रामसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।
2. श्री मोहनलाल विरस्सु एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 10, 11 ।
3. प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 एवं 12 ता 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 16 राज पैरोकार उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग का खेत खसरा संख्या 14 तादादी 11 वीघा 1 विश्वा, खसरा संख्या 61 तादादी 7 वीघा 2 विश्वा, खसरा संख्या 196 तादादी 9 वीघा 2 विश्वा, खसरा संख्या 292/62 तादादी 2 वीघा 4 विश्वा, खसरा संख्या 293/130 तादादी 19 विश्वा व खसरा संख्या 295 तादादी 18 विश्वा कुल तादादी 31 वीघा 6 विश्वा व खसरा संख्या 209 तादादी 12 वीघा 1 विश्वा भूमि वाके रोही ग्राम कोडासर वीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादी का 1/5 राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्सा नियत है। वादी के कब्जा काश्त व हिस्सा पांति में खेत खसरा नं. 209 तादादी 12 वीघा 1 बिश्वा में से उतरी पूर्वी हिस्से की भूमि मिन तादादी 2 वीघा 8 विश्वा व खेत खसरा नं. 196 तादादी 9 वीघा 2 बिश्वा में से उतरी पूर्वी ओर की मिन तादादी 6 वीघा 5 विश्वा भूमि हिस्से पांति में आई हुई है। दावा जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने वावत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

वहस वहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने वहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी की तरफ से कोई लिखित आपति नहीं आई है जिस पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने वावत निवेदन किया। इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने वहस कथन किया कि प्रारम्भिक निर्णय प्रशासन गांवों के संग में हुआ है व साक्ष्य नहीं हुये हैं तथा कौनसे हिस्से पर इनकी कब्जा है सावित नहीं है एवं विभाजन प्रस्ताव पर शेष सभी पक्षकारान को सूचित नहीं किया सिर्फ वादी ही उपस्थित हुआ। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पुनः पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवाकर मंगवाया जाये। दावा वादी विभाजन का है जो काफी समय से विचाराधीन है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खसरा संख्या 14 तादादी 11 वीघा 1 विश्वा, खसरा संख्या 61 तादादी 7 वीघा 2 विश्वा, खसरा संख्या 196 तादादी 9 वीघा 2 विश्वा, खसरा संख्या 292/62 तादादी 2 वीघा 4 विश्वा, खसरा संख्या 293/130 तादादी 19 विश्वा व खसरा संख्या 295 तादादी 18 विश्वा कुल तादादी 31 वीघा 6 विश्वा व खसरा संख्या 209 तादादी 12 वीघा 1 विश्वा भूमि वाके रोही ग्राम कोडासर वीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताविक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काविज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताविक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि दावागत भूमि खसरा संख्या 14 तादादी 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 61 तादादी 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 196 तादादी 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 292 / 62 तादादी 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 293 / 130 तादादी 19 बिस्वा व खसरा संख्या 295 तादादी 18 बिस्वा कुल तादादी 31 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 209 तादादी 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके रोही ग्राम कांकसर बंधनाथान तहसील सुजानगढ जिला चूरू हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव नक्शा के अंकन कर लगान कायम कर रकबा में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ

श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

पेमाराम बनाम सुन्दर देवी आदि

दावा कृषि भूमि विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा हेतु

मुकदमा न0 27 सन 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....

हाजरी श्री रामसिंह राठौड़ एड. .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रुप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमिखसरा संख्या 14 तादादी 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 61 तादादी 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 196 तादादी 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 292/62 तादादी 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 293/130 तादादी 19 बिस्वा व खसरा संख्या 295 तादादी 18 बिस्वा कुल तादादी 31 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 209 तादादी 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके रोही ग्राम कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरु हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्त में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.............................. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलनाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 2025

मुहर

दस्तखत

उप खण्ड अधिकारी

सुजानगढ़

	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पवकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदेलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।